नाथी देवी बनाम राजस्थान सरकार
मुकदमा नम्बर 181/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीया –

नाथी देवी पुत्री घीसा जाति गुर्जर निवासी नावां हाल निवासी उलाणा तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादी –

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नावां (भूमिधारी) तहसील नावां।

दावा बाबत इस्तकरार हक व रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट व
136 आर.एल.आर. एक्ट 1956

उपस्थित :– श्री भैरूराम कुमावत अधिवक्ता वादी

मुकदमा नम्बरः 181/2023 निर्णय दिनांक :– 09.12.2023

निर्णय

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम खारड़िया पटवार हल्का खारड़िया तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर के नवीन खसरा नम्बर 504, 509, 511, 512, 513, 514, 515, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 553/486, 554/523, 663/510 कुल रकबा 29.4260 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। उक्त भूमि में वादीया के पिता स्वर्गीय श्री घीसा पुत्र पन्ना की खातेदारी चली आ रही है। वादीया के पिता का स्वर्गवास दिनांक 07.02.1998 को हो चुका है। इनके मुत्यु हो जाने पर उनके स्थान पर वादीया ही एकमात्र वारिसान है। वादीया के पिता घीसा पुत्र धन्ना का उक्त भूमि में 313/2966 हिस्सा दर्ज है। उक्त भूमि में भू–राजस्व अधिकारियों की भूल से घीसाराम पुत्र पन्नाराम जाति गुर्जर निवासी उलाणा के स्थान पर घीसा पुत्र धन्ना दर्ज हो रखा है जबकि वादीया के पिता के पहचान पत्र में घीसाराम पुत्र पन्नाराम दर्ज है। संवत 2065–68 के राजस्व रिकॉर्ड में भी वादीया के पिता का नाम घीसा पुत्र पन्ना व मृत्यु प्रमाण पत्र, बिगोडी/लगान डायरी में भी वादीया के पिता का नाम घीसाराम पुत्र पन्नाराम दर्ज है। इसलिए उक्त भूमि में वादीया के पिता का नाम घीसा पुत्र धन्ना के स्थान पर घीसाराम पुत्र पन्नाराम जाति गुर्जर निवासी उलाण तहसील नावां दर्ज करवाना चाहते है।

वादीया का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रतिवादी तहसीलदार नावां ने जवाब मय रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि घीसाराम व गणेशराम दो भाई थे जिनके पिता का नाम पन्नाराम है। घीसाराम, गणेशराम के पिता का नाम ग्राम खारड़िया के खसरा नम्बर 504, 509, 511 किता 16 रकबा 29.4260 हैक्टर ... दर्ज हो रखा है। गत भू–प्रबंध के भूमि का लगान की ब्यौरा भाग 2 की फोटो प्रति में गत खसरा नम्बर 109 मीन 216 2/3 में खातेदार घीसा पुत्र पन्ना, घीसा गणेश पि. पन्ना दर्ज है। रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:39:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

पटवारी एवं सलंग्न दस्तावेजों के आधार पर घीसाराम पुत्र धन्नाराम के स्थान पर घीसाराम पुत्र पन्नाराम किया जाना उचित है।

उभयपक्षकारान को सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार राजस्व ग्राम खारड़िया पटवार हल्का खारड़िया तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर के नवीन खसरा नम्बर 504, 509, 511, 512, 513, 514, 515, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 553/486, 554/523, 663/510 कुल रकबा 29.4260 हैक्टर भूमि में वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात एंव तहसीलदार नावां की रिपोर्ट के आधार पर वादीया के पिता का नाम घीसा पुत्र धन्ना के स्थान घीसाराम पुत्र पन्नाराम घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम खारड़िया पटवार हल्का खारड़िया तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर के नवीन खसरा नम्बर 504, 509, 511, 512, 513, 514, 515, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 553/486, 554/523, 663/510 कुल रकबा 29.4260 हैक्टर भूमि में वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात एंव तहसीलदार नावां की रिपोर्ट के आधार पर वादीया के पिता का नाम घीसा पुत्र धन्ना के स्थान घीसाराम पुत्र पन्नाराम घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.12.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:39:59 IST
Reason: SelfAttested

अदालतः– उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना–कुचामन, राज.
अज अदालत :– श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीया –

नाथी देवी पुत्री घीसा जाति गुर्जर निवासी नावां हाल निवासी उलाणा तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादी –

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नावां (भूमिधारी) तहसील नावां।

मुकदमां नम्बर :– 181/2023 **निर्णय दिनांक :–** 09.12.2023

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री भैरूराम कुमावत अधिवक्ता वादीया को डिक्री दी जाती हैं कि :–

वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम खारड़िया पटवार हल्का खारड़िया तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर के नवीन खसरा नम्बर 504, 509, 511, 512, 513, 514, 515, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 553/486, 554/523, 663/510 कुल रकबा 29.4260 हैक्टर भूमि में वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात एंव तहसीलदार नावां की रिपोर्ट के आधार पर वादीया के पिता का नाम घीसा पुत्र धन्ना के स्थान घीसाराम पुत्र पन्नाराम घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार नावां को तहरीर जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.12.2023 को जारी की गई।

मुहर

(उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन))

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी, नावां

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:39:59 IST
Reason: SelfAttested